भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2403

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

भारत में डिजिटल स्वर्ण का विनियमन

2403.श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री जी.एम. हरीश बालयोगीः
श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) सरकार और/या इसके अभिकरणों के साथ पंजीकृत डिजिटल स्वर्ण का क्रय और विक्रय करने वाली इकाइयों, विशेषकर जो अन्य देशों में स्थित हैं, की सूची का ब्यौरा क्या है;
(ख) भारतीय नागरिकों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान क्रय किए गए डिजिटल स्वर्ण की कुल धनराशि का राज्य-वार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार को पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में और विशेषकर आंध्र प्रदेश से डिजिटल स्वर्ण के विक्रय/क्रय के संबंध में प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने डिजिटल स्वर्ण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान/पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख): सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई विवरण नहीं रखा जाता है।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य सहित, वर्ष 2020 से 2025 (25 नवंबर तक) के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त डिजिटल स्वर्ण से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ): सरकार ने डिजिटल स्वर्ण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान या पहल शुरू नहीं की है। तथापि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने दिनांक 8 नवंबर, 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें स्वर्ण से संबंधित वित्तीय उत्पादों में निवेश के बारे में जनता को जानकारी दी है। यह प्रेस विज्ञप्ति अनुलग्नक-II में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020 से 2025 (नवंबर 2025 तक) के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त डिजिटल स्वर्ण से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का राज्य-वार विवरण।

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 *(नवंबर 2025 तक)***	**कुल योग**
1	दिल्ली	5	6	6	7	4	10	38
2	पश्चिम बंगाल	0	4	6	8	13	6	37
3	उत्तर प्रदेश	1	2	3	10	8	13	37
4	महाराष्ट्र	1	3	13	3	7	8	35
5	तेलंगाना	4	2	5	5	3	11	30
6	कर्नाटक	0	3	9	2	5	9	28
7	हरियाणा	1	5	2	5	1	6	20
8	गुजरात	0	3	7	3	2	2	17
9	आंध्र प्रदेश	2	1	2	1	4	7	17
10	केरल	0	3	1	2	5	6	17
11	मध्य प्रदेश	0	1	6	3	0	6	16
12	पंजाब	0	0	3	4	1	5	13
13	तमिलनाडु	1	1	1	0	2	7	12
14	राजस्थान	0	2	1	1	3	5	12
15	बिहार	0	4	3	3	0	0	10
16	असम	1	0	0	4	3	2	10
17	ओडिशा	0	0	0	0	3	3	6
18	जम्मू एवं कश्मीर	0	1	0	0	4	0	5
19	उत्तराखंड	0	1	0	0	0	2	3
20	झारखंड	0	0	1	0	0	2	3
21	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0	0	0	2
22	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	1
23	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	1	1
24	गोवा	0	0	0	0	0	1	1
	कुल योग	**17**	**42**	**71**	**61**	**68**	**112**	**371**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

संपर्क प्रभाग, सेबी भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
Communications Division, SEBI Bhavan, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
दूरभाष / Tel: +91-22-26449000 ईमेल / email:press@sebi.gov.in वेबसाइट /website: www.sebi.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति सं. 70/2025

'डिजिटल गोल्ड' में निवेश करने के संबंध में जनता को आगाह करना

सेबी ने विभिन्न विनियमित गोल्ड प्रोडक्टों के जरिए निवेशकों के लिए सोने और सोने से संबंधित लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट) में निवेश करना आसान बना दिया है, जैसे - एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव कॉण्ट्रैक्ट, म्यूचुअल फंड द्वारा लाए गए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड की जानेवाली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ई.जी.आर.) । सेबी से विनियमित इन गोल्ड प्रोडक्टों में निवेश सेबी से रजिस्टर मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के माध्यम से किए जा सकते हैं और इनका लेनदेन सेबी द्वारा निर्धारित किए गए विनियामक प्रावधानों के तहत किया जाता है।

सेबी को यह पता चला है कि कुछ डिजिटल / ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निवेशकों को "डिजिटल गोल्ड / ई-गोल्ड प्रोडक्ट्स" में निवेश करने की पेशकश कर रहे हैं । ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश करना असल सोने में निवेश करने जैसा ही है ।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ऐसे गोल्ड प्रोडक्ट सेबी द्वारा विनियमित गोल्ड प्रोडक्टों से अलग हैं, क्योंकि ये न तो प्रतिभूति (सिक्यूरिटीज़) की तरह अधिसूचित हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव की तरह विनियमित । इनका कामकाज पूरी तरह से सेबी के दायरे से बाहर है । ऐसे डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट निवेशकों के लिए काफी जोखिम भरे हैं और निवेशकों को काउंटरपार्टी या ऑपरेशनल जोखिम भी हो सकता है ।

निवेशकों / सहभागियों (पार्टिसिपेंट्स) को यह सूचित किया जाता है कि ऐसे डिजिटल गोल्ड / ई-गोल्ड प्रोडक्ट में किए गए निवेश प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के लिए बनाई गई निवेशक संरक्षण व्यवस्था के दायरे में नहीं आते हैं ।

मुंबई
08 नवम्बर, 2025